

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/विविध-01-78/2017- 680(3) /स्वा0, पी0एम0सी0एच0, पटना राज्य का एवं राजधानी स्थित शीर्ष चिकित्सीय संस्थान है । वहाँ की चिकित्सा कार्य व्यवस्थित एवं गुणवत्तापूर्ण बनी रहे, इस निमित्त पी0एम0सी0एच0, पटना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु निम्नवत चार सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है:-

- | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 1. | श्री राम ईश्वर,
संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना । | - | अध्यक्ष |
| 2. | डा0 शम्भू प्रसाद
निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना । | - | सदस्य |
| 3. | डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता,
अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना । | - | सदस्य |
| 4. | डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना । | - | सदस्य |

- डा0 शम्भू प्रसाद तथा डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता, पी0एम0सी0एच0, पटना में अगले आदेश तक उपस्थित रहकर वहाँ की चिकित्सकीय व्यवस्था का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे । वे व्यवस्था में आवश्यकतानुसार गुणवत्तापूर्ण सुधार निमित्त सुझाव प्रतिवेदन समिति के अध्यक्ष को समर्पित करेंगे ।
- प्राप्त सुझाव के आलोक में डा0 रंजीत कुमार सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना समिति का सभी आवश्यक तकनीकी एवं व्यवहारिक सुझाव/मंतव्य देंगे ताकि कठिनाईयों का निराकरण किया जा सके ।
- समिति के अध्यक्ष अपने मन्तव्य के साथ प्रतिवेदन प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को यथा समय देंगे ।
- पी0एम0सी0एच0 के पर्यवेक्षण के लिये गठित उक्त समिति विभाग एवं पी0एम0सी0एच0 के बीच समन्वय का कार्य करेगी तथा पी0एम0सी0एच0 के गुणवत्तापूर्ण एवं सुचारु रूप से संचालन से संबंधित सभी आवश्यक कार्रवाई एवं प्रयास करते रहेंगे तथा तदसंबंधी प्रगति से प्रधान सचिव को अवगत करावेंगे ।
- यह आदेश तुरन्त के प्रभाव से प्रभावी होगा ।


ह0 / -

(आर0 के0 महाजन)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य

ज्ञापांक : 680(3)

/स्वा0, दिनांक : 17.11.17

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यगण/प्राचार्य/अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के निजी सहायक, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


प्रधान सचिव, स्वास्थ्य